

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
--: मंत्रालय :-
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// कार्यालयीन आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/02/2021

क्रमांक 1383 /F-2014-04-00769/ब-4/चार :- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों की अवकाश अवधि में शासकीय कार्य को सुचारु रूप से संपादित किये जाने हेतु जारी समस्त लिंक अधिकारी संबंधित आदेश को अधिकमित करते हुए अधिकारियों के नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 में अंकित अधिकारियों को लिंक अधिकारी नामांकित किया जाता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	प्रथम लिंक अधिकारी	प्रथम लिंक अधिकारी की अनुपस्थिति में द्वितीय लिंक अधिकारी
1	2	3	4
1	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा	श्री सतीश पाण्डेय	डॉ. ए.के. सिंह
2	श्री सतीश पाण्डेय	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा	श्री अतीश पाण्डेय
3	श्रीमती शारदा वर्मा	डॉ. ए.के. सिंह	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
4	डॉ. ए.के. सिंह	श्रीमती शारदा वर्मा	श्री सतीश पाण्डेय
5	श्री अतीश पाण्डेय	श्री राजेश कुमार सिसोदिया	श्रीमती शारदा वर्मा
6	श्री राजेश कुमार सिसोदिया	श्री अतीश पाण्डेय	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा
7	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्री सौमिल रंजन चौबे	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का
8	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्री सौमिल रंजन चौबे
9	श्री सौमिल रंजन चौबे	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	श्री राजेश कुमार सिसोदिया
10	श्री आनन्द मिश्रा	श्री ऋषभ पाराशर	श्री राजशेखर शर्मा
11	श्री ऋषभ पाराशर	श्री अरविंद कुजूर	श्री आनन्द मिश्रा
12	श्री राजशेखर शर्मा	श्री सीताराम तिवारी	श्री मनोज तिवारी
13	श्री सीताराम तिवारी	श्री राजशेखर शर्मा	सुश्री हिमशिखा साहू
14	श्री मनोज तिवारी	श्री आनन्द मिश्रा	श्री अरविंद कुजूर
15	श्री अरविंद कुजूर	श्री मनोज तिवारी	श्री सीताराम तिवारी
16	श्री प्रेमसिंह घरेन्द्र	सुश्री हिमशिखा साहू	श्री शरद परसाई
17	श्री शरद परसाई	श्री प्रेमसिंह घरेन्द्र	श्री ऋषभ पाराशर
18	सुश्री हिमशिखा साहू	श्री शरद परसाई	श्री प्रेमसिंह घरेन्द्र

2- वित्त विभाग में पदस्थ समस्त अधिकारी अवकाश में जाने के पूर्व अपने लिंक अधिकारियों से अनौपचारिक चर्चा कर सुनिश्चित करेंगे कि उनके अवकाश अवधि में प्रथम लिंक अधिकारी एवं द्वितीय लिंक अधिकारी अवकाश में तो नहीं है अथवा जा रहें हैं।

3- उक्त लिंक अधिकारी, संबंधित अधिकारी के अवकाश/भ्रमण की अवधि में नस्तियों का निराकरण करेंगे तथा संबंधित अधिकारी अवकाश पर जाते समय अपने लिंक अधिकारी को कार्यो/नस्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी देने के पश्चात् ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।

4— उक्त आदेश किसी भी अधिकारी के अन्यत्र स्थानांतरण के फलस्वरूप उनके स्थान पर नवीन पदस्थापना तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील होगा।
(सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक **1384**/F-2014-04-00769/ब-4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक **02-02-2021**
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
2. विशेष सचिव, वित्त /अपर सचिव, वित्त के निज सहायक
3. संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
4. अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,
5. समस्त अनुभाग अधिकारी/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,

— की ओर सूचनार्थ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग